हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 11 अक्तूबर, 2013

संख्या का०आ०86/ह०अ०24/1973/धा०69/2013.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का० आ० 15/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा सम्बद्ध नगरपरिषद्/नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर भवन तथा भूमि पर सम्पत्ति कर निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार अधिरोपित करते हैं, अर्थात्:-

1. **नगरपरिषदों तथा नगरपालिका समितियों का वर्गीकरण :-**

नगरपरिषदों तथा नगरपालिका समितियों को निम्नलिखित दो प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा :

बी शहर - सभी नगरपरिषदें ।

सी शहर - सभी नगरपालिका समितियां।

2. **नगरपरिषदों तथा नगरपालिका समितियों के लिए सम्पत्ति कर :-**

अ. आवासीय सम्पत्तियां

(क) मकान

भूतल पर सम्पत्ति कर

(i) 300 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ii) 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 2.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 1.60 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज तक आकार के प्लाट के मकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 3.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iv) 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक आकार के प्लाट के मकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 3.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(v) 2 एकड़ से अधिक आकार के प्लाट के मकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 5.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

अन्य मंजिलों पर सम्पत्ति कर

मंजिलवार छूट प्रथम मंजिल पर 40%, दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पर 50%, तहखाने के लिए 50% की छूट, भूतल के लिए सम्पत्ति कर दर जो उपरोक्त क्रमांक 2अ(क)(i) से (iv) पर दी गई है, में दी जाएगी यदि सम्पूर्ण भवन का स्वामित्व तथा कब्जा एक मालिक के पास है। यदि मंजिलें विभिन्न स्वामियों द्वारा स्वामित्वाधीन हैं, तो प्रत्येक मंजिल के लिए सम्पत्ति कर भूतल के लिए यथालागू दर पर संगणित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त तहखाने जो केवल पार्किंग हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, को सम्पत्ति कर के उद्ग्रहण से छूट होगी।

(ख) फ्लैट्स

(i) 2000 वर्ग फुट तक कारपेट क्षेत्र के फ्लैटों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.50 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.40 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष;

(ii) 2001 वर्ग फुट से 5000 वर्ग फुट तक कारपेट क्षेत्र के फ्लैटों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.60 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.48 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष;

(iii) 5000 वर्ग फुट से अधिक तक कारपेट क्षेत्र के फ्लैटों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.75 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.60 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष;

नोटः- सांझा सुविधाओं/भवनों के लिए कर विभिन्न उपयोगों के अधीन क्षेत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा।

आ. **वाणिज्यिक सम्पत्तियां**

(क) दुकानें

भूतल पर सम्पत्ति कर

(i) 50 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 12.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 9.60 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ii) 51 से 100 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 18.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 14.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 101 से 500 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर बी शहरों में ₹ 24.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों में ₹ 19.20 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iv) 501 से 1000 वर्ग गज तक प्लाट के आकार की दुकानों पर बी शहरों के लिए ₹ 30.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 24.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

अन्य मंजिलों पर सम्पत्ति कर

मंजिलवार छूट प्रथम मंजिल पर 40%, दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पर 50%, तहखाने के लिए 50% की छूट, भूतल के लिए सम्पत्ति कर दर जो उपरोक्त क्रमांक 2 आ(क) (i) से (iv)

पर दी गई है, में दी जाएगी यदि सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व तथा कब्जा एक मालिक के पास है। यदि मंजिलें विभिन्न स्वामियों द्वारा स्वामित्वाधीन हैं, तो प्रत्येक मंजिल के लिए सम्पत्ति कर भूतल के लिए यथालागू दर पर संगणित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त तहखाने जो केवल पार्किंग हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, को सम्पत्ति कर के उद्ग्रहण से छूट होगी।

नोट :- 1. 1000 वर्गगज से अधिक आकार के प्लॉट की वाणिज्यिक सम्पत्तियों के 'वाणिज्यिक स्थान' के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

2. यदि वाणिज्यिक दुकान या उसके भाग को किराये/पट्टे पर दिया गया है, तो सम्पत्ति कर किराये पर दिये गये/पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के लिए उपरोक्त दरों का 1.25 गुणा होगा।

(ख) वाणिज्यिक स्थान (शॉपिंग मॉल्ज, मल्टीप्लैक्सिज वाणिज्यक या कार्यालय स्थान इत्यादि)

(i) 1000 वर्ग फुट तक कारपेट क्षेत्र के वाणिज्यिक स्थानों पर बी शहरों के लिए ₹ 6.00 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4.80 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष;

(ii) 1000 वर्ग फुट से अधिक कारपेट क्षेत्र के वाणिज्यिक स्थानों से अधिक पर बी शहरों के लिए ₹ 7.50 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 6.00 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष;

नोटः-यदि वाणिज्यिक स्थान या उसके भाग को किराये/पट्टे पर दिया हुआ है, तो सम्पत्ति कर किराये पर दिये गये/पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के लिए उपरोक्त दरों का 1.25 गुणा होगा।

इ. औद्योगिक सम्पत्तियां

(i) 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 2.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ii) 2501 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के आकार के प्लाटों पर बी शहरों में ₹ 3.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों में ₹ 2.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 2 एकड़ से 50 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर प्रथम 2 एकड़ पर कर उपरोक्त क्रम संख्या इ(ii) में दी गई दरों के अनुसार जमा दो एकड़ से अधिक के प्लाट क्षेत्र के लिए बी शहरों के लिए ₹ 1.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, सी शहरों के लिए ₹ 0.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष होगी;

(iv) 50 एकड़ से अधिक के आकार के प्लॉट पर प्रथम 50 एकड़ पर क्रम संख्या इ (iii) में दी गई दरों के अनुसार जमा 50 एकड़ से अधिक प्लाट क्षेत्र के लिए बी शहरों के लिए ₹ 0.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष, सी शहरों के लिए ₹ 0.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

ई. संस्थागत सम्पत्तियां

(क) संस्थागत - वाणिज्यिक

(i) 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 6.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ii) 2501 वर्ग गज से 5000 वर्ग गज तक के आकार के प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 9.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 7.20 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 5000 वर्ग गज से अधिक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 12.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 9.60 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ख) संस्थागत - गैर-वाणिज्यिक

(i) 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 5.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ii) 2501 वर्ग गज से 5000 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 6.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 5000 वर्ग गज से अधिक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 7.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 6.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(ग) संस्थागत - शैक्षणिक संस्थाएं

(i) 1 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 5,000 प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 4,000 प्रति वर्ष;

(ii) 1 एकड़ से अधिक 2.5 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 0.75 लाख प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.60 लाख प्रति वर्ष;

(iii) 2.5 एकड़ से अधिक 5 एकड़ तक के आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 1.00 लाख प्रति वर्ष;

(iv) 5 एकड़ से अधिक आकार के प्लाट पर बी शहरों के लिए ₹ 2.50 लाख प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष;

नोट:- 1. संस्थागत (वाणिज्यिक) सम्पत्ति में लाभ के लिए चलाई जा रही सभी संस्थाएं शामिल होंगी।

2. संस्थागत (गैर-वाणिज्यिक) सम्पत्ति में सभी अनुसंधान संस्थाएं तथा बिना लाभ पर चलाई जा रही संस्थाएं शामिल होंगी।

3. संस्थान का कोई भाग जोकि किराये पर हो अथवा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए हो, तो संस्थागत (वाणिज्यिक) दरों पर कर अलग से प्रभारित किया जाएगा।

उ. **खाली भूमि**

(i) आवासीय तथा वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए 100 वर्ग गज तक के आकार के खाली प्लॉटों और 500 वर्ग गज तक के आकार के औद्योगिक/ संस्थागत खाली प्लॉटों को सम्पत्ति कर से छूट होगी।

(ii) 101 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक के आकार के प्लाट के खाली (रिहायशी) प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.25 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.20 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iii) 501 वर्ग गज तथा इससे ऊपर के आकार के खाली (रिहायशी) प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 0.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(iv) 101 वर्ग गज तथा इससे ऊपर के आकार के प्लाट के खाली (वाणिज्यिक) प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 2.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

(v) 501 वर्ग गज तथा इससे ऊपर के आकार के प्लाट के खाली (औद्योगिक/संस्थागत) प्लाटों पर बी शहरों के लिए ₹ 1.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 0.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष;

ऊ. **विशेष प्रवर्ग**

(i) **निजी हस्पताल**

(क) 50 बिस्तरों तक : क्रमशः बी तथा सी शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 20%।

(ख) 51 से 100 बिस्तरों तक : क्रमशः बी तथा सी शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 40%।

(ग) 100 बिस्तरों से अधिक : क्रमशः बी तथा सी शहरों के लिये कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 60%।

(ii) **मैरिज पैलेस** : क्रमशः बी तथा सी शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50%।

(iii) **सिनेमा हालः**

(क) स्टैण्ड एलोन : क्रमश : बी तथा सी शहरों के लिये कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50%।

(ख) मॉल्ज़ तथा मल्टीप्लैक्सि में स्थितः क्रमश : बी तथा सी शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का शत-प्रतिशत।

(iv) **बैंकूस** : क्रमश : बी तथा सी शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का शतप्रतिशत।

(v) **स्टोरेज गोदामः**

(क) 2500 वर्ग गज तक के आकार के प्लॉटः बी शहरों के लिए ₹ 3.00 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 2.40 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष।

(ख) बी शहरों के लिए 2501 वर्ग गज से 1 एकड़ के आकार के प्लाट पर ₹ 4.50 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 3.60 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष।

(ग) बी शहरों के लिए 1 एकड़ से अधिक के आकार के प्लाट पर ₹ 4.80 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 3.84 प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष।

(vi) **हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल (एच.एस.ए.एम.बी) द्वारा अधिसूचित अनाज मण्डी/सब्जी मण्डी/टिम्बर मार्केट/सब-मार्केट यार्डः**

(क) दुकानें : बी शहरों के लिए ₹ 1200.00 प्रति दुकान प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 960.00 प्रति दुकान ।

(ख) बूथ्स : बी शहरों के लिए ₹ 600.00 प्रति बूथ प्रति वर्ष तथा सी शहरों के लिए ₹ 480.00 प्रति बूथ प्रति वर्ष ।

नोट : हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल (एच.एस.ए.एम.बी) की गैर-अधिसूचित अनाज मण्डी/सब्जी मण्डी क्षेत्रों/टिम्बर मार्केट के मामले में, सम्पत्ति कर आवासीय / वाणिज्यिक / स्टोरेज गोदाम पर दर उसके वास्तविक प्रयोग पर निर्भर रहते हुए, प्रभारित की जाएगी ।

(vii) **क्लब** :

क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50% ।

(viii) **होटलः**

(क) तीन सितारा तक : क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थान की दर का 75%।

(ख) तीन सितारा से अधिकः क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 125%।

(ix) **अन्य संस्थाएं जैसे कि अकेले छात्रावास, पेईंग गेस्ट हाउस/अकोमोडेशन इत्यादि** : क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का 50%।

(x) **निजी कार्यालय भवन** : क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों में कारपेट क्षेत्र पर वाणिज्यिक स्थानों की दर का शतप्रतिशत।

(xi) **रेस्टोरेंट्स**

(क) 1000 वर्ग फुट तकः क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र के वाणिज्यिक स्थानों की दर का 75%।

(ख) 1000 वर्ग फुट से अधिकः क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए कारपेट क्षेत्र के वाणिज्यिक स्थानों की दर का शतप्रतिशत।

ए. सम्पत्ति कर - मिश्रित उपयोग सम्पत्तियां

किसी सम्पत्ति के परिसरों के मिश्रित उपयोग की दशा में कर के दायित्व की गणना क्षेत्र के विभिन्न उपयोगों के अधीन क्षेत्र के अनुसार की जाएगी।

3. **छूट :-**

(i) धार्मिक सम्पत्तियों, अनाथालयों, भिक्षुक-गृहों, नगरपालिका भवनों, श्मशानघाटों/कब्रिस्तानों, धर्मशालाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों/सरकारी अस्पतालों पर शतप्रतिशत छूट दी जाएगी;

(ii) सेवारत सैनिकों/अर्धसैनिक बल के कार्मिक तथा भूतपूर्व सैनिकों/अर्धसैनिकों अथवा उसके/उसकी पति/पत्नी, मृतक सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कार्मिक के परिवारों के 300 वर्ग गज तक के स्वामित्व वाले आवासीय मकानों को शतप्रतिशत छूट दी जाएगी यदि वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हों तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो । यह और कि मकान को किराये पर देने की शर्त उन पर लागू नहीं होगी जो प्रति मास ₹ एक हजार दो सौ पचहत्तर या कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) स्वतंत्रता सेनानी अथवा उसके/उसकी पति/पत्नी तथा युद्ध विधवाओं के स्वामित्व में स्वयं रहने वाले आवासीय मकानों पर शतप्रतिशत छूट दी जाएगी यदि वे हरियाणा राज्य में कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं रखते हों तथा इसमें स्वयं निवास कर रहे हों तथा मकान का कोई भाग किराये पर नहीं दे रखा हो।

(iv) बागवानी/कृषि के लिए प्रयुक्त एक एकड़ तथा अधिक के खाली प्लॉट को शतप्रतिशत छूट दी जाएगी।

(v) राज्य सरकार के भवनों (बोर्ड, निगम, उपक्रम/स्वायत्त निकायों के भवनों से भिन्न) को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

नोटः-परन्तु स्वामी उपरोक्त छूट में से किसी एक छूट का चयन कर सकता है जो उसे अनुज्ञेय हो।

4. **सामान्यः**

(i) कराधान तथा दरों की नई प्रणाली वित्त वर्ष 2010-11 से आगे इस शर्त सहित लागू होगी कि अधिसूचना से पूर्व अवधि के लिए सम्पत्ति मालिक को नई अथवा पुरानी नीति, जो भी उन द्वारा चुनी जाती है, के अनुसार भुगतान करने का विकल्प होगा।

(ii) 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी जो अपने सभी देय/बकाया सम्पत्ति कर (वर्ष 2012-13 तक) दरों की अधिसूचना के 45 (पैंतालीस) दिन के भीतर अदा कर देते हैं।

(iii) जिन्होंने कर पहले ही जमा करवा दिया है, तो अधिक राशि, यदि कोई हो, को भविष्य में सम्पत्ति कर दायित्व के विरुद्ध बिना ब्याज के समायोजित किया जाएगा।

(iv) 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो उस कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करेंगे। वर्ष 2013-14 हेतु, 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो देय कर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर जमा कराएंगे।

(v) मस्जिदों, मन्दिरों, गिरिजाघरों तथा गुरुद्वारों सहित धार्मिक सम्पत्तियों से जुड़े सभी भवनों तथा भूमियों को सम्पत्ति कर से छूट दी जाएगी:

परन्तु वे समुदाय को बिना किसी प्रभार के व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और समस्त आय केवल धार्मिक कार्यों हेतु लगाई जा रही है/प्रयोग की जा रही है :

परन्तु यह और कि ऐसी संस्थाएं अपनी आय निजी धार्मिक प्रयोजनों अथवा किसी विशेष जाति अथवा वर्ग के लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाती हैं। यदि ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग धार्मिक प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सम्पत्ति का वह भाग सामान्य लागू दर पर सम्पत्ति कर की अदायगी के लिए दायी होगा।

(vi) पूर्व वर्षों के लम्बित बकायों/देयों/विवादों जिसमें न्यायालय मामले शामिल हैं, जिनके सम्बन्ध में नोटिस/बिल जारी किये गये हों अथवा नहीं, सम्पत्ति मालिक को प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर का भुगतान करने का विकल्प होगा और उसका भुगतान सभी ऐसे विवादों/देयों/बकायों का निपटान माना जाएगा। कोई भी ब्याज अथवा शास्ति उद्गृहीत नहीं की जायेगी।

5. **शास्तियां :-**

(क) गलत घोषणा की दशा में, कर अपवंचन की राशि के समकक्ष शास्ति उद्गृहीत की जायेगी।

(ख) देरी से अदायगी की दशा में, 1.5 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जायेगा;

(ग) गलत घोषणा का पता लगने की दशा में उपरोक्त (ख) पर निर्दिष्ट ब्याज भी, उपरोक्त (क) पर निर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त प्रभारित किया जायेगा;

(घ) शास्तिक ब्याज प्रारम्भिक दायित्व से अधिक नहीं होगा।

पी० राघवेन्द्र राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।